जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर दिनांक 06.02.2025

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 46/2025 धारा 125 बीएनएस व 25(9)/30 आर्म्स एक्ट से संबंधित विवरण के संबंध में।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि कतिपय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर थाना नूरपुर क्षेत्रान्तर्गत दो नाली बंदूक से हर्ष फायरिंग की वीडियो वायल हुई थी।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा उक्त वीडियो का संज्ञान लेकर थाना प्रभारी नूरपुर को वायरल वीडियो की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 04.02.2025 की रात्रि में सुनील पुत्र हरफूल सिंह निवासी ग्राम शादपुरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के पुत्र अवधेश का लगन का कार्यक्रम ग्राम शादपुरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर में चल रहा था। कार्यक्रम में नाच गाना चल रहा था उसी दौरान सुनील उपरोक्त द्वारा अपनी लाईसेंसी बन्दूक से लापरवाही पूर्वक कृत्य करते हुए आस पडोस व कार्यक्रम में आये हुए लोगो की जान जोखिम में डालते हुए अपनी लाईसेंसी बन्दूक से हवाई फायरिंग की गयी। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 46/2025 धारा 125 बीएनएस व 25(9)/30 आयुद्ध अधि0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 46/25 से संबंधित अभियुक्त सुनील पुत्र हरफूल सिंह निवासी ग्राम शादपुरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को लाईसेंसी बन्दूक के साथ हिरासत में लिया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है। शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता –

सुनील पुत्र हरफूल सिंह निवासी ग्राम शादपुरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

पुलिस टीम का विवरण –

1- उ0नि0 पवन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2- आरक्षी बोबी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3- आरक्षी सिद्धान्त थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा **दिनांक – 06.02.2025**

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने मु0अ0सं0 14/2025 धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.02.2025 को वादिया श्रीमती लक्ष्मी पत्नी योगराज सिंह निवासी ग्राम मुढाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि 1.प्रीति पत्नी रोहित (मृतक) 2.पुष्पा पत्नी राजपाल 3.पंकज 4.जोनी पुत्रगण राजपाल 5.नैना देवी पुत्री राजपाल निवासीगण नाईपुरा झुझारपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के पुत्र रोहित (उम्र करीब 25 वर्ष) के साथ शादी के बाद से आये दिन गाली-गलौच करते हुए मारपीट करते थे। दिनांक 03.02.2025 को उक्त व्यक्तियों द्वारा रोहित के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी व दस लाख रूपये की मांग की गयी तथा रूपये न देने पर झूठे मुकदमे मे फंसाने की धमकी दी, जिससे भयभीत होकर दिनांक 04.02.2025 को वादिया के पुत्र रोहित द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 14/2025 धारा 108 बीएनएस बनाम प्रीति आदि कुल 05 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 06.02.2025 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्तागण 1. पुष्पा देवी पत्नी राजपाल सिंह 2.प्रीती पत्नी रोहित पुत्री राजपाल सिंह मय गोद में लिये चार माह का बच्चा 3.नैना उर्फ रीता पुत्री राजपाल सिंह समस्त निवासीगण ग्राम झुझारपुरा उर्फ नाईपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का नाम व पता –

1.पुष्पा देवी पत्नी राजपाल सिंह निवासी ग्राम झुझारपुरा उर्फ नाईपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.प्रीती पत्नी रोहित पुत्री राजपाल सिंह (मय गोद में लिये चार माह का बच्चा) निवासी ग्राम झुझारपुरा उर्फ नाईपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3.नैना उर्फ रीता पुत्री राजपाल सिंह समस्त निवासी ग्राम झुझारपुरा उर्फ नाईपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री जगत सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2.म0कां0 960 गुंजन हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर **दिनांक – 06.02.2025**

थाना मंडावर पुलिस ने मु0अ0सं0 23/25 धारा 137(2)/75/65(2)/62 बीएनएस 5/6/7/8 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.02.2025 को वादिया ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि ताजिम उर्फ शक्तिमान पुत्र अख्तर निवासी ग्राम खिरनी थाना मंडावर जनपद बिजनौर वादिया की 05 वर्षीय पोती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा उसके साथ छेडछाड करते हुए गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 23/25 धारा 137(2)/75/65(2)/62 बी0एन0एस0 व 5/6/7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम ताजिम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 06.02.2025 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त ताजिम उर्फ शक्तिमान पुत्र अख्तर निवासी ग्राम खिरनी थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ताजिम उर्फ शक्तिमान पुत्र अख्तर निवासी ग्राम खिरनी थाना मंडावर जनपद बिजनौर

अभियुक्त ताजिम का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 590/21 धारा 363/354क भादवि व 9/10 पाक्सो एक्ट थाना रायपुर देहरादून

मु0अ0सं0 23/25 धारा 137(2)/75/65(2)/62 बीएनएस 5/6/7/8 पॉक्सो एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मृदुल कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 781 धन सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3. हे0कां0 401 दीपक राणा थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4. कां0 2132 साकेत भाटी थाना मंडावर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 06.02.2025**

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.02.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	हल्दौर	पुखराज पुत्र रामचरण निवासी ग्राम कुम्हारपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2	नूरपुर	जोगेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिह निवासी बुढनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3	बढापुर	मुन्ने पुत्र चिवचरण निवासी ग्राम अनूपनगर थाना बढापुर जनपद बिजनौर।